



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20082025-265559
CG-DL-E-20082025-265559

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 520]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 20, 2025/श्रावण 29, 1947

No. 520]

NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 20, 2025/SHRAVANA 29, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2025

सा.का.नि. 564(अ).— केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 80(ठक) की उपधारा(3) के खंड(i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (टेईसवाँ संशोधन) नियम 2025 है।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- आयकर नियम, 1962 के परिशिस्ट 2 के प्रारूप 10(गगद्ध) के उपबंध क में,-
(क) क्रम संख्या 6 में, "धारा 80एलए की उपधारा (2) में (रुपये में)" शब्दों, कोष्ठकों, अंकों और अक्षरों के पश्चात, "(यदि इकाई आईएफएससी बीमा कार्यालय है और बीमा कारोबार करती है, तो "सकल आय" का अर्थ आयकर

अधिनियम, 1961 की धारा 44 और प्रथम अनुसूची के उपबंधों के अनुसार गणना किए गए लाभ और अभिलाभ होंगे)" कोष्ठक, शब्द, अंक और अक्षर अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्रम संख्या 9 में, शब्द, कोष्ठक और अंक "सकल पात्र आय (मद 8) (रूपये में)" के पश्चात् कोष्ठक, शब्द, अक्षर और अंक "(यदि इकाई आईएफएससी बीमा कार्यालय है और बीमा कारोबार करती है, जहां लाभ और अभिलाभ की गणना आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 44 और प्रथम अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार की जाती है, तो इस क्षेत्र को शून्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है)" को सम्मिलित किया जाएगा।

[अधिसूचना सं. 135/2025/फा. सं. 370142/33/2025-टीपीएल]

कृतिका जैन, अवर सचिव, कर नीति और विधान

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, साधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्या का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 555(अ) तारीख 18 अगस्त, 2025 द्वारा किया गया।

**MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th August, 2025

G.S.R. 564(E).— In exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (3) of section 80LA, read with section 295 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely: -

1. (1) These rules may be called the Income-tax (Twenty-Third Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Income-tax Rules, 1962, in APPENDIX II, in FORM No. 10CCF, in ANNEXURE A, –
(a) in serial number no. 6, after the words, brackets, figures and letters “in sub-section (2) of section 80LA (in Rs.)”, the brackets, words, letters and figures, “(In case of the Unit being an IFSC Insurance Office undertaking insurance business, the “gross income” will mean to be the profit and gains calculated as per the provisions of section 44 and the First Schedule of the Income-Tax Act)” shall be inserted;
(b) in serial number no. 9, after the words, brackets and figures “gross eligible income (item 8) (in Rs.)” the brackets, words, letters and figures may be inserted “(In case of the Unit being an IFSC Insurance Office undertaking insurance business, where the profit and gains are calculated as per the provisions of section 44 and the First Schedule of the Income-Tax Act, this field may be submitted as Nil)” shall be inserted.

[Notification No. 135/2025/F. No. 370142/33/2025-TPL]

KRITIKA JAIN, Under Secy., Tax Policy and Legislation

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969 (E), dated the 26th March, 1962 and were last amended *vide* notification number G.S.R 555(E), dated the 18th August, 2025.